भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2383
(08 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के लिए एनएमएमएस की समीक्षा

2383. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने वर्ष 2022 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लिए राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी समीक्षाओं और चिह्नित किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी समीक्षाओं के दौरान या उसके बाद मनरेगा श्रमिकों , नागरिक समाज संगठनों आदि सहित हितधारकों के साथ किए गए किसी भी परामर्श का ब्यौरा क्या है और यदि हाँ , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2022 से एनएमएमएस एप्लिकेशन के विकास , परिनियोजन और रखरखाव पर अब तक वर्ष-वार कुल कितना व्यय हुआ है; और

(ङ) एनएमएमएस के संचालन और निगरानी के लिए केंद्र , राज्य और जिला स्तर पर कितने कर्मचारी तैनात किए गए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत निगरानी और मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मंत्रालय मध्यावधि समीक्षा , साझा समीक्षा मिशन, श्रम बजट बैठकें, राष्ट्रीय स्तर की निगरानी, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस बैठकें और क्षेत्रीय दौरों जैसे विभिन्न तंत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) के कार्यान्वयन सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन की नियमित समीक्षा करता है। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यकता और अपेक्षाओं के आधार पर समीक्षा एवं सुधार किए जाते हैं। उच्च स्तर की निगरानी और निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए एनएमएमएस और क्षेत्र अधिकारी ऐप जैसे प्रौद्योगिकी-सक्षम समाधान पेश किए गए हैं।

इन समीक्षाओं के आधार पर , मंत्रालय योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार सुधार करता है। राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं , सामान्य समीक्षा मिशनों और मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किए गए क्षेत्रीय दौरों से समस्याओं और कमियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इन दौरों से प्राप्त निष्कर्षों और सिफारिशों को उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया जाता है।

मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों में कई हितधारक परामर्श बैठकें आयोजित की गई हैं। ऐसी ही एक पहल थी "संवाद" , जो महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सुशासन पहलों पर सिविल सोसायटी संगठनों के साथ 2 मई 2023 को आयोजित एक संवाद था।

इसके अतिरिक्त, 5 जुलाई 2024 को महात्मा गांधी नरेगा विशेषज्ञों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद 5 अगस्त 2024 को विभिन्न सिविल सोसायटी संगठनों और एजेंसियों के साथ एक और बैठक आयोजित की गई , जिसमें चल रहे कार्यान्वयन और समस्याओं पर आगे विचार-विमर्श किया गया।

माननीय ग्रामीण विकास और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में 18 दिसंबर 2024 को एक व्यापक विचार-मंथन सत्र भी आयोजित किया गया। इस सत्र में विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया और योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए नई पहलों और सिफारिशों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

(घ): एनएमएमएस मोबाइल एप्लिकेशन के विकास , परिनियोजन और रखरखाव के लिए कोई अलग से व्यय नहीं किया गया है। इस एप्लिकेशन को एनआईसी-डीआरडी की नरेगासॉफ्ट एमआईएस की विकास टीम द्वारा एक मॉड्यूल स्वरुप आंतरिक रूप से विकसित किया गया है।

(ङ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम की धारा 18 के अनुसार, योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कर्मचारी और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की है। केंद्र , राज्य या ज़िला स्तर पर एनएमएमएस के लिए कोई अलग कर्मचारी तैनात नहीं किए गए हैं। एनएमएमएस का प्रबंधन और निगरानी विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर मौजूदा महात्मा गांधी नरेगा कर्मचारी संसाधनों द्वारा की जाती है।